पूरक परीक्षार्थियों से संबंधित मैनुअल

1. सभी संकाय सदस्य क्षेत्रीय प्रशासकों / सह क्षेत्रीय प्रशासकों / प्रशासक, टंकण / आशुलिपि (केवल टंकण / आशुलिपि प्रशिक्षार्थियों के लिए) को ई-मेल से यह सूचना देंगे कि उनके कौन-कौन से प्रशिक्षार्थी पूरक परीक्षा में बैठने के इच्छुक हैं। इसके लिए उन्हें उस प्रशिक्षार्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं नाम तथा पदनाम लिखकर क्षेत्रीय प्रशासकों को सूची बनाकर भेजना होगा।
2. सूची के साथ-साथ सभी संकाय सदस्य उन प्रशिक्षार्थियों की फीस का ब्यौरा भी क्षेत्रीय प्रशासकों / सह क्षेत्रीय प्रशासकों / प्रशासक, टंकण / आशुलिपि (केवल टंकण / आशुलिपि प्रशिक्षार्थियों के लिए) को उपलब्ध करवाएँगे । केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए फीस देय नहीं है। फीस की स्थिति केवल उन प्रशिक्षार्थियों के लिए बताई जानी है जिनका रजिस्ट्रेशन अन्य के रूप में हुआ है।
3. सूची प्राप्त होने के बाद सभी क्षेत्रीय प्रशासक / सह क्षेत्रीय प्रशासक सबसे पहले पूरक प्रशिक्षार्थी पर क्लिक करें । इसके बाद वर्ष 2018 पर क्लिक करें । जिस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षार्थियों की पूरक परीक्षा ली जानी है उसे सिलेक्ट करें। ऐसा करने पर उस प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित पूरक प्रशिक्षार्थियों की सूची सामने स्क्रीन पर दिखाई देगी।
4. इसके बाद उन प्रशिक्षार्थियों के नाम के सामने बने बॉक्स में टिक मार्क लगाएँ जो पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं तथा जिनकी सूची संकाय सदस्यों द्वारा ई-मेल से भेजी गई है। टिक मार्क लगाने के बाद अग्रेषित कर दें ।
5. इसके बाद उनके परीक्षा शुल्क की स्थिति दर्शाएँ (यदि आवश्यक हो तो)। इसके बाद परीक्षा शाखा से परीक्षा शुल्क स्वीकृत करवाएँ ।
6. इसके बाद परीक्षा शाखा द्वारा स्वीकृत परीक्षा केंद्र आबंटित करें।
7. परीक्षा शाखा द्वारा उनके प्रवेश पत्र जनरेट किए जाने के बाद प्रवेश पत्र निकाल कर उन्हें संकाय सदस्यों के माध्यम से भिजवाएँ ।
8. परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षा में उनकी उपस्थिति संकाय सदस्यों से मंगवाकर उसे प्रणाली में दर्ज करवाएँ।
9. उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच के बाद अपने स्टाफ से उनके प्राप्तांक प्रणाली में दर्ज करवाएँ और परीक्षा शाखा को इसकी सूचना दें ।
10. परीक्षा शाखा द्वारा अंकों का मिलान करने के बाद परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।
11. स्वीकृत परीक्षा परिणाम को संकाय सदस्य संबंधित कार्यालयों को प्रेषित करेंगे, निर्धारित अवधि के उपरांत प्रशिक्षार्थियों के प्रमाण पत्र भी प्रणाली के माध्यम से ही जनरेट किए जा सकेंगे ।
12. पूरक परीक्षाओं से संबंधित सभी कार्य करने के लिए हिंदी भाषा जनवरी-मई सत्र के लिए दिनांक 30 मार्च और जुलाई नवंबर के लिए दिनांक 30 सितंबर अंतिम तिथियाँ होंगी। हिंदी टंकण एवं आशुलिपि के लिए यह तिथियाँ फरवरी-जुलाई सत्र के लिए 30 अप्रैल एवं अगस्त-जनवरी सत्र के लिए 30 जनवरी होंगी।